

झारखण्ड विधान सभा

कार्य सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा

[दशम्(मानसून)सत्र]

शुक्रवार,तिथि-

11 अगस्त, 2017 (ई०)

20 श्रावण, 1939 (श०)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11:00 बजे पूर्वाह्न)

--:प्रश्नोत्तर:-

- (01)- सभा के गत-सत्र के अतारंकित तथा अनागत प्रश्नों के उत्तर का सभा सचिव द्वारा पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
- (02)- अल्प-सूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर।
- (03)- शून्यकाल की सूचनाएँ।

--:ध्यानाकर्षण-सूचनाएँ एवं उसपर सरकार का वक्तव्य:-

- (04)-श्री राधाकृष्ण किशोर,स०वि०स की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (स्वास्थ्य,चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-09.08.2017 एवं 10.08.2017 से स्थगित)
- (05)-सर्वश्री निर्भय कुमार शाहाबादी,ग्लेन जोसेफ गॉलस्टॉन एवं जय प्रकाश सिंह भोगता,स०वि०स की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-09.08.2017 एवं 10.08.2017 से स्थगित)
- (06)-श्री शिवशंकर उरांव,स०वि०स की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (पथ निर्माण विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-09.08.2017 एवं 10.08.2017 से स्थगित)
- (07)-श्री बिरंची नारायण,स०वि०स की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (नगर विकास एवं आवास विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-10.08.2017 से स्थगित)

कृ०पृ०३३०/-

- (08)-श्रीमती विमला प्रधान,स0वि0स की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-10.08.2017 से स्थगित)
- (09)-श्री भानू प्रताप शाही एवं श्री प्रकाश राम ,स0वि0स की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-10.08.2017 से स्थगित)
- (10)-श्री अरूप चटर्जी,स0वि0स की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-10.08.2017 से स्थगित)
- (11)-श्री राजकुमार यादव,स0वि0स की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (ग्रामीण विकास विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-10.08.2017 से स्थगित)
- (12)- श्री अशोक कुमार,स0वि0स की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (ख्राद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (13)- श्री आलमगीर आलम,स0वि0स की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (स्वास्थ्य,चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (14)- श्री अमित कुमार,स0वि0स की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (15)- श्री अनंत कुमार ओझा एवं श्री अमित कुमार मंडल,स0वि0स की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार(गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (16)- श्री राज सिन्हा,स0वि0स की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (स्वास्थ्य,चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- : समितियों का गठन :-
- (17)- झारखण्ड विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य-संचालन के नियम के अनुसरण में समितियों का गठन (यदि हो)।
- : सभा के समक्ष प्रतिवेदनों का रखा जाना :-
- (18)- झारखण्ड विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदनों का सभा-पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
- (19)- याचिकाओं का उपस्थापन (यदि हो)।

-: विधायी कार्य :-

झारखण्ड लिफ्ट एण्ड एक्सेलेटर विधेयक, 2017

- (20)- उर्जा विभाग के प्रभारी मंत्री श्री रघुवर दास, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड लिफ्ट और एक्सेलेटर विधेयक, 2017" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (21)- उर्जा विभाग के प्रभारी मंत्री श्री रघुवर दास, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (22)- उर्जा विभाग के प्रभारी मंत्री श्री रघुवर दास, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड लिफ्ट और एक्सेलेटर विधेयक, 2017" पर विचार हो।
- (23)- उर्जा विभाग के प्रभारी मंत्री श्री रघुवर दास, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड लिफ्ट और एक्सेलेटर विधेयक, 2017" स्वीकृत हो।

झारखण्ड आधार (लक्षित वित्तीय एवं अन्य सहायिकी लाभ

और सेवा प्रदाय) विधेयक, 2017

- (24)- सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेन्स विभाग के प्रभारी मंत्री श्री रघुवर दास, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड आधार (लक्षित वित्तीय एवं अन्य सहायिकी लाभ और सेवा प्रदाय) विधेयक, 2017" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (25)- सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेन्स विभाग के प्रभारी मंत्री श्री रघुवर दास, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (26)- सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेन्स विभाग के प्रभारी मंत्री श्री रघुवर दास, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड आधार (लक्षित वित्तीय एवं अन्य सहायिकी लाभ और सेवा प्रदाय) विधेयक, 2017" पर विचार हो।
- (27)- सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेन्स विभाग के प्रभारी मंत्री श्री रघुवर दास, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड आधार (लक्षित वित्तीय एवं अन्य सहायिकी लाभ और सेवा प्रदाय) विधेयक, 2017" स्वीकृत हो।

कारखाना (झारखण्ड संशोधन)विधेयक, 2017

- (28)- श्रम नियोजन,प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के प्रभारी मंत्री श्री राज पलिवार,प्रस्ताव करेंगे कि“कारखाना (झारखण्ड संशोधन) विधेयक,2017” को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (29)- श्रम नियोजन,प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के प्रभारी मंत्री श्री राज पलिवार,उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (30)- श्रम नियोजन,प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के प्रभारी मंत्री श्री राज पलिवार,प्रस्ताव करेंगे कि “कारखाना (झारखण्ड संशोधन) विधेयक,2017” पर विचार हो।
- (31)- श्रम नियोजन,प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के प्रभारी मंत्री श्री राज पलिवार,प्रस्ताव करेंगे कि“कारखाना (झारखण्ड संशोधन) विधेयक,2017” स्वीकृत हो।

झारखण्ड चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों,चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा एवं सम्पति नुकसान निवारण) विधेयक, 2017

- (32)- स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी,प्रस्ताव करेंगे कि“झारखण्ड चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों,चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा एवं सम्पति नुकसान निवारण) विधेयक, 2017 ”को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (33)- स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी,उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (34)- स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी,प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों,चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा एवं सम्पति नुकसान निवारण) विधेयक, 2017 ” पर विचार हो।

(35)- स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों, चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा एवं सम्पति नुकसान निवारण) विधेयक, 2017" स्वीकृत हो।

(36)- अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो)।

बिनय कुमार सिंह

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या:- कार्य०का०सू०-05/2017-2412/वि०स०, राँची, दिनांक-10 अगस्त, 2017 ई०।

प्रतिलिपि:- माननीय सदस्यगण, झारखण्ड विधान-सभा, राँची/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/सरकार के मुख्य सचिव, झारखण्ड/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/ लोकसभा, नई दिल्ली/झारखण्ड सरकार के समस्त विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सरोज कुमार)

अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या:- कार्य०का०सू०-05/2017-2412/वि०स०, राँची, दिनांक-10 अगस्त, 2017 ई०।

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को कमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

(सरोज कुमार)

अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या:- कार्य०का०सू०-05/2017-2412/वि०स०, राँची, दिनांक-10 अगस्त, 2017 ई०।

प्रतिलिपि:- झारखण्ड विधान-सभा के सभी पदाधिकारीगण/वेबसाइट शाखा/पुस्तकालय शाखा एवं जनसम्पर्क शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सरोज कुमार)

अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची।